कार्यालय नगर पालिका परिषद अनूपशहर (बुलन्दशहर)।

पत्रांक:- 1348/न0पा0प0अ0/2019-20 दिनांक:- 01-01-2020

ई-टेण्डर निविदा सूचना

अपर जिलाधिकारी महोदय (प्रशासन)/प्रभारी अधिकारी (स्था0नि0) बुलन्दशहर के कार्यालय के पत्रांक 8746/एल0बी0सी0 दिनांक 23.12.2019 के अनुपालन में स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत मैटेरियल रिकवरी फैसेलिटी (एम0आर0एफ0) के निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं राज्य वित्त आयोग की अवशेष धनराशि के अन्तर्गत निम्न कार्यो की निविदायें आमन्त्रित की जाती है। निविदाओं का विवरण एवं प्रपत्र उत्तर प्रदेश ई-प्रोक्योरमेन्ट की वेवसाईट http://etender.up.nic.in से प्राप्त किये जा सकते है।

कार्यो की निविदा स्कैन आर्नेस्टमनी एवं निविदा शुल्क की मूल प्रति मुख्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि	15.01.2020 को सायं 4.00 बजे तक
कार्यो की निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि	02.01.2020 को सायं 4.00 बजे से 15.01.2020 को सायं 4.00 बजे तक
कार्यो की निविदा खोलने की तिथि	16.01.2020 को प्रातः 11.00 बजे

स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत मैटेरियल रिकवरी फैसेलिटी (एम0आर0एफ0) के निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	धरोहर राशि 10 प्रतिशत	निविदा मूल्य	18 प्रतिशत G.S.T	कार्य की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	मी0 अहार द्वार में नये एस0टी0पी0 ग्राउण्ड के निकट मैटेरियल रिकवरी फैसेलिटी (एम0आर0एफ0) का निर्माण कार्य	39,95,000.00	3,99,500.00	4,000.00	720.00	03 माह

राज्य वित्त आयोग की अवशेष धनराशि से कराये जाने वाले कार्य

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	धरोहर राशि 10 प्रतिशत	निविदा मूल्य	18 प्रतिशत G.S.T	कार्य की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	मौ0 नेहरू गंज में राष्ट्रीय ध्वज (41 मीटर) हाईमास्क की स्थापना का कार्य	17,56,965.00	1,75,700.00	1,750.00	315.00	03 माह

शर्ते

1. सशर्त निविदायें मान्य नही होगी और स्वयं ही निरस्त समझी जायेगी।
2. नगर पालिका परिषद अनूपशहर को बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में सुरक्षित होगा। निविदा शुल्क धनराशि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, अनूपशहर के पद नाम से बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कापी निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा।
3. प्रत्येक निविदा के साथ 10 प्रतिशत धरोहर राशि की एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 कॉलम संख्या 4 में अंकित विवरण के अनुसार, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, अनूपशहर के पद नाम से बंधक होगी की स्कैन कॉपी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
4. निविदा खोले जाने के समय निविदादाता की उपस्थिति वांछनीय है।
5. निविदा के साथ निविदादाता का हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, पैन नम्बर, जी0एस0टी0 पंजीकरण व श्रम विभाग के पंजीकरण D.D व F.D.R की प्रतियाँ अपलोड करना अनिवार्य होगा जिसकी एक प्रिन्ट प्रति लिफाफे में रखकर एवं निविदा शुल्क व धरोहर राशि की एफ0डी0आर0 की मूल प्रति एक लिफाफे में रखकर लिफाफे पर कार्य का नाम ठेकेदार का नाम के साथ निविदादाता के स्पष्ट हस्ताक्षर एवं मोहर लगाकर निर्धारित तिथि 15.01.2020 को सायं 4.00 बजे तक निर्माण विभाग, नगर पालिका परिषद अनूपशहर कार्यालय में रखे बॉक्स में डालना अनिवार्य है। यदि लिफाफे पर उक्त विवरण अंकित नही होंगे तो लिफाफा अवैध माना जायेगा एवं ऐसी निविदा का संज्ञान नही लिया जायेगा।
6. निविदादाता द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की निविदा डालने की दशा में शासनादेश संख्या-622/23-12-2012-2 ऑडिट/09टी0सी0-2 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत तक निम्न दरें प्राप्त होने पर 0.50 प्रतिशत प्रति प्रतिशत दर तथा 10 प्रतिशत से अधिक बिलों पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दरों पर परफोरमेन्स गारन्टी की अतिरिक्त धनराशि नकद जमा कराने के उपरान्त अनुबंध किया जायेगा। निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। (निविदा की धनराशि से कम निविदा डालने पर अन्तर की धनराशि पालिका परिषद में नकद जमा करनी होगी जो कार्य संतोषजनक पूर्ण होने पर वापिस कर दी जायेगी।

7. शासनादेश संख्या 0145/नौ-9-2013 दिनांक 10.12.2013 के द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत ठेकेदारों के पंजीयन एवं श्रमिकों के पंजीयन कराये जाने अनिवार्य होंगे। प्रत्येक निविदा कार्य का पंजीयन/संस्था को कार्यदेश प्राप्ति पर श्रम विभाग से कराकर पालिका में जमा करना होगा।

8. अपठनीय/अस्पष्ट स्कैन कॉपी निविदा के साथ अपलोड होने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

9. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या 3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 के अनुपालन में प्राप्त किये जाने वाले उपखनिजों पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान वैध अभिवहन प्रपत्र (एमएम-11) के आधार पर परिवहन किये जायें, बिना वैध अभिवहन प्रपत्र (एमएम-11) के किया जाता है तब प्रयुक्त उपखनिज की रायल्टी के साथ-साथ खनिज मूल्य (सामान्यतः रायल्टी का पांच गुणा) की कटौती ठेकेदार के बिल से करते हुए लेखा शीर्षक में जमा कर दी जायेगी।

10. निविदा विवरण निम्न प्रारूप में उल्लिखित कार्यों का अलग-अलग विवरण उनकी आंगणन लागत निविदा की अर्नेस्टमनी निविदा मूल्य तथा समय अवधि का विवरण उपरोक्त वेवसाईट पर देखा जा सकता है। विवरण के अनुसार प्रत्येक कार्य की अलग-अलग निविदा आमन्त्रित है।

11. टेण्डर की वैधता 90 दिवस होगी।

12. ठेकेदार/फर्म का जी0एस0टी0 में पंजीकरण अनिवार्य है तथा जी0एस0टी0 के अन्तर्गत आने वाली समस्त कटौतियां देय होगी।

13. प्रत्येक निविदादाता निविदा देने से उक्त सूची में अंकित निर्माण कार्य के स्थल का ठेकेदार भली भाँति निरीक्षण अवश्य कर लें।

14. निविदा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर न्यायायिक क्षेत्राधिकार, अनूपशहर होगा।

15. शासनादेश संख्या 609/नौ-9-2007-249ज/06 दिनांक 26.02.2007 के अनुपालन में प्रत्येक निविदा पत्र के साथ 100/- रूपये के स्टाम्प पेपर पर स्वघोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

नोटः- उक्त निविदा सूचना सम्बन्धी शर्तें वेवसाईट **www.bulandshahr.nic.in** पर उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी नगर पालिका परिषद अनूपशहर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

(संजय वर्मा)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
अनूपशहर (बुलन्दशहर)

(ब्रजेश शर्मा)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
अनूपशहर (बुलन्दशहर)